झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–1038 वर्ष 2017

बिनीता देवी .... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य

2. सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार

3. कार्यकारी अभियंता, कोनार नहर प्रमंडल, बगोदर, गिरिडीह

4. प्रधान महालेखाकार (ए एंड आई), झारखण्ड, रांची

.... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री अपरेश कुमार सिंह**

याचिकाकर्ता के लिए :– मैसर्स रितु कुमार, समावेश भंज देव, विकास कुमार, शताक्षी, मनोज कुमार साह, अधिवक्तागण

उत्तरदाता–राज्य के लिएः– श्री सुमीर प्रसाद, एस0सी0–I

उत्तरदाता–ए0जी0 के लिएः– श्री सुरेश कुमार, अधिवक्ता

05/27.11.2018 याचिकाकर्ता, राज्य और महालेखाकार के विद्वान वकील को सुना गया।

2. याचिकाकर्ता, उसके स्वयं के स्वीकारोक्ति के अनुसार, कर्मचारी स्वर्गीय योगेश्वर ठाकुर की दूसरी पत्नी है, जिसने अपनी पहली पत्नी के रहते हुए उसने दूसरी शादी की थी और दिनांक 31.12.2009 को कोनार नहर प्रभाग, गिरिडीह के अंतर्गत सहायक अभियंता के

पद से सेवानिवृत्त हुए थे और पेंशन प्राप्त कर रहे थे। कर्मचारी की मृत्यु दिनांक 27.07.2015 को हो गई।

3. महालेखाकार के कार्यालय ने अनुलग्नक–3, पत्र दिनांक 28.07.2016 के द्वारा याचिकाकर्ता को सूचित किया है कि पारिवारिक पेंशन को मंजूरी आदेश के अभाव में रोक दिया गया है क्योंकि कर्मचारी के दो विवाहों के संबंध में मामला फैमिली कोर्ट, समस्तीपुर के समक्ष लंबित है। याचिकाकर्ता ने विपक्षी पार्टी कर्मचारी की याचिका दिनांक 13.06.2013 पर प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, समस्तीपुर का विविध केस संख्या 84/1998 में दिनांक 28.10.2013 को पारित आदेश को संलग्न किया है जिसमें झारखंड के महालेखाकार को कर्मचारी के सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान के संबंध में आवश्यक आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया। पहली पत्नी के पक्ष में भरण–पोषण का आदेश इससे पहले 29.04.2000 को भरण–पोषण मामला संख्या 84/1998 में पारित किया गया था, जब उसके बच्चे नाबालिग थे।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि विविध मामला संख्या 84/1998 (अनुलग्नक–2) को महालेखाकार, झारखंड और विभाग को अनुलग्नक–4 और 4 में दिए गए अभ्यावेदनों के माध्यम से सूचित किया गया है। हालांकि, अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

5. राज्य के अधिवक्ता को तथ्यों का विवरण प्राप्त नहीं हुआ है, हालांकि महालेखाकार के विद्वान अधिवक्ता ने उचित निर्देश प्राप्त करने के लिए लेखा अधिकारी, महालेखाकार (ए एंड आई), झारखंड द्वारा इस विषय पर उव सचिव, जल संसासधन विभाग,

झारखंड सरकार को दिनांक 15.02.2018 को जारी पत्र संख्या 2038 का उल्लेख किया है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि इस संबंध में निर्णय लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी को उचित निर्देश जारी किया जा सकता है।

6. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों और पक्षकारों की प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए, यह उचित है कि रिट याचिका का निपटारा किया जाए, हालांकि, इस स्तर पर दावे के गुण–दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, प्रतिवादी संख्या 2/सचिव, जल संसाधन विभाग, भारत सरकार को निर्देश दिया जाए। वह सभी प्रासंगिक रिकॉर्डों और दावेदार के दावे की उचित जांच के बाद, उचित अवधि के भीतर, अधिमानतः नए अभ्यावेदन के साथ इस आदेश की एक प्रति प्राप्त होने की तारीख से 12 सप्ताह के भीतर, याचिकाकर्ता या कर्मचारी के दूसरे विवाह से पैदा हुए संतान के दावे और पात्रता पर निर्णय लें। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस तरह के निर्णय पर कानून में परिणाम सामने आएंगे। रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

(अपरेश कुमार सिंह, न्याया0)